न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/1345/2005/नागौर</u>

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नागौर

–अपीलार्थी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र श्री सिमरथाराम जाति जाट निवासी ईनाणा तहसील एवं जिला नागौर

–रैस्पोडेन्ट

<u>खण्डपीठ</u>
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री राजेश कुमार दडिया, सदस्य

उपस्थित–
श्री एस.पी. ओझा, राजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री राजेन्द्र सिंह बराड एवं श्री अभिषेक कौशिक, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 28.11.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या–164/2003 बउनवानी सुरजाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–03–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट / वादी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर के न्यायालय में एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का का प्रस्तुत करके निवेदन किया कि ग्राम ईनागा स्थित आराजी साबिक खसरा नंबर नम्बर 1854 रकबा 44 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है तथा हाल सेटलमेन्ट में सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने साबिक खासरा नम्बर 1854 रकबा 44 बीधा 4 बिस्वा में से 35 बीघा 2 बिस्वा भूभाग के नये खसरा नम्बर 1765 बनाकर खातेदारी का पर्चा उसके पक्ष में जारी कर दिया, मगर शेष रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा भूमि को गलत तौर पर खसरा नम्बर 1751 में दक्षिणी भाग में गलत रूप से दर्शा दिया। अतः दावा डिक्री किया जाकर हाल खसरा नंबर 1751 के दक्षिणी भाग का रकबा 9 बीघा 02 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया तथा तहसीलदार नागोर के द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई जिन्होंनें अपनी मौका रिपोर्ट न्यायालय की प्रेषित की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा वादी पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 18.02.2002 से वाद वादी खारिज कर दिया। इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादी ने विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, नागौर के न्यायालय में अपील मय धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2004 से स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी खसरा नंबर 1751 के दक्षिणी भाग रकबा 9 बीघा 02 बिस्वा का खातेदार घोषित कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– विद्धान राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष रैस्पो0 द्वारा मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गयी थी और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में मियाद के बिन्दु पर किसी प्रकार का कोई विवेचन एवं विशलेषण किए बिना अपील को स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री कर दिया जबकि प्रावधित प्रावधानों के अनुसार मियाद बाहर अपील में सर्वप्रथम मियाद के

बिन्दु का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। आगे यह भी तर्क किया कि हस्तगत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भाविक त्रुटि है। अतः धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जावे। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया था। विवादित आराजी खसरा नंबर 1751 गैरमुमकिन अंगोर की भूमि होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की आराजी है और धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार गैरमुमकिन अंगोर की भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए–

1. 1998 डीएनजे राज0 पेज 767

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी का साबिक खसरा नंबर 1845 रकबा 44 बीघा 04 बिस्वा सैटलमेन्ट विभाग द्वारा साबिक आराजी के हाल खसरा नंबर 1765 कायम करते समय रकबा कम करते हुए 35 बीघा 02 बिस्वा कायम कर दिया और 09 बीघा 02 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 1751 की दक्षिणी सीमा में शामिल कर रकबा बढा दिया। सैटलमेन्ट विभाग को इस प्रकार से इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने कम हुए रकबे की भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि होना मानते हुए वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा साबिक एवं हाल खसरा नंबर का रकबा कम होना प्रमाणित मानते हुए अपील को स्वीकार कर वाद डिक्री किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है जो मियाद के बिन्दु पर भी खारिज किए जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज की जावे। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए–

1. 2019 आरबीजे पेज 267
2. 2004 आरबीजे (11) पेज 335
3. 2014 आरबीजे (21) पेज 623
4. 2020(1) आरआरटी पेज 37
5. 2020(1) आरआरटी पेज 40

6– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7– सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को निर्णित करना उचित समझते है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2004 के विरूद्ध अपीलार्थी ने मंडल हाजा के समक्ष हस्तगत अपील दिनांक 23.03.2005 को एक वर्ष की देरी उपरांत प्रस्तुत की गयी है और धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में देरी बाबत् राजस्व अभियान में वयस्त होने व अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने से अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। उक्त कथनों के समर्थन में अपीलार्थी जगदीश प्रसाद गर्ग तत्कालिक तहसीलदार नागौर ने अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है, जो पर्याप्त एवं सद्भावी प्रतीत होते है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

8– अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.2002 के विरूद्ध वादी/ रैस्पो0 की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में दिनांक 07.07.2003 को अपील मय धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील में लिखी गयी आदेशिकाओं एवं पारित निर्णय में धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र पर किसी प्रकार का कोई विवेचन एवं विश्लेषण किए बिना अपील को स्वीकार किया गया है।

साथ ही विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि साबिक खसरा नम्बर 1854 का कुल रकबा 44बीघा 04बिस्वा था और प्रदर्श–9 पत्रक भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाया गया जिसमें साबिक खसरा नम्बर का नया खसरा नम्बर 1765 कुल रकबा 35बीघा 02बिस्वा खातेदारी में दर्ज किया और शेष जोत को नाकाबिल काश्त मानते हुए अंगोर में दर्ज की गयी है, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर भी अपीलाधीन निर्णय में अपना कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया है।

9– प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को Subject To Limitation दिनांक 30.08.2003 को दर्ज की गयी। अपीलीय

न्यायालय द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र का निस्तारण किए बिना अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपील को स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री किया। जब अपील मियाद बाहर पेश की गयी हो तो आदेश 41 नियम 3–ए सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अपील न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर आदेश पारित करना आवश्यक है। इस संबंध में आदेश 41 नियम 3ए सीपीसी के प्रावधान महत्वपूर्ण है, जो निम्नानुसार है–

Order 41 Rule 3 (A). Application for condonation of delay -

(1) when and appeal is presented after the expiry of the period of limitation specified therefore, it shall be accompanied by an application supported by affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

(2) if the court sees no reason to reject the application without the issue of a notice to the respondent, notice their of shall be issued to the respondent and the matter shall be finally decided by the court before it proceeds to deal with the appeal under rule 11 or rule 13, as the case may be.

सिविल प्रक्रिया संहिता के उक्त प्रावधानों एवं योग्य राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1998 डीएनजे राज पेज 767 के अनुसार अपील मियाद बाहर होने की स्थिति में सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन का निस्तारण करना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण प्रत्यर्थी की मदद नहीं करते है।

10– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या–164/2003 बउनवानी सुरजाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–03–2004 को अपास्त किया जाता है और प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष को सुनकर विधिसम्मत आदेश पारित करे। तदुपरांत अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

11– पक्षकारान को जरिए अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 31.12.2024 को प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष